तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27.3.20	उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8.5.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
8.5.20	उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.5.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
29.5.20	उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14.8.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
14.8.20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. प. की गई, पूर्व में सीमाज्ञान नहीं कराया गया, अप्रार्थीगण को किर्ची मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सीन अधिकारी – महीपाल सिंह चौहान आर.ए.एस.

दमा संख्या – 167/19 प्रा.पत्र

श्री लक्ष्मण S/o श्री भागीरथ जाट निवासी- बाज्या की खेड़ी त०माण्डल [कारोई]

–प्रार्थी

बनाम

श्री शंकर S/o श्री भुरा जाट निवासी- बाज्या की खेड़ी तहसील-माण्डल [कारोई]
(पृष्ठांकित प्रा.पत्र संलग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 14.08.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाज्या की खेड़ी पटवार हलका बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2458/7325, 2467, 2469/7324 कुल किता 03 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधि विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.11.19 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बाज्या की खेड़ी पटवार हलका बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2458/7325, 2467, 2469/7324 कुल किता 03 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को 400/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner